स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6)/स्थायी./अलेसे–III/ 5291 दिनांक :– 4-3-2020

समस्त कोषाधिकारी
राजस्थान

विषयः– एस.बी.सिविल कन्टेम्पट याचिका संख्या 981/2019 प्रियंका शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर। में कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा–2013 में मंत्रालयिक संवर्ग में चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को पूर्व पद के समान वेतन (Pay Protection) के संबंध में सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– निदेशालय का पूर्व पत्रांक 4920 दिनांक 08.01.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि याचिकार्थी प्रियंका शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल कन्टेम्पट याचिका संख्या 981/2019 प्रियंका शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (अन्तर्गत एस.बी. सिविल रिट पिटिशन न. 10731/2017) दायर कर पूर्व पद के समान वेतन (Pay Protection) का अनुतोष चाहा गया हैं। निगम, बोर्ड, आदि में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी अपने पद से राज्य सरकार के अधीन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त किये गये, प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 के तहत पूर्व पद का वेतन लेने का प्रावधान नहीं हैं।

उक्त प्रकरण में वित्त (विधि) प्रकोष्ठ विभाग के पत्रांक क्रमांक एफ 7 (127)एफडी/एलसी/2017 जयपुर दिनांक 15.11.2019 द्वारा राज्य के कोषाधिकारियों द्वारा समान स्थितियों के अभ्यर्थियों को पूर्व पद के समान वेतन (Pay Protection) आदेश पारित करना बताया गया हैं एवं तथ्यों का परीक्षण कर रिपोर्ट चाही गई हैं। विशेष प्रकरण में निदेशालय के संदर्भित पत्र द्वारा तथ्यों की जांच कर निदेशालय को रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, किन्तु आदिनांक तक आप द्वारा की गई कार्यवाही/रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया हैं।

अतः समस्त कोषाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने कोषालय के अधीन विद्युत बोर्ड/निगम आदि के मंत्रालयिक कर्मचारी जो कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यरत है, को उनके पूर्व पद के समान वेतन (Pay Protection) का लाभ दिये जाने के संबंध में तथ्यों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित कराने का श्रम करावें, ताकि तदानुसार रिपोर्ट वित्त (विधि) प्रकोष्ठ विभाग को प्रेषित की जा सकें एवं उक्त न्यायिक प्रकरण में समुचित प्रतिरक्षण की प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

कृपया पत्र को प्राथमिकता प्रदान करते हुए वांछित रिपोर्ट एक सप्ताह की अवधि में निदेशालय को भिजवाने का श्रम करावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक